

राजस्थान-सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर ।


क्रमांक :- राजप/डीपीसी/एसीआर/परिपत्र/2011/363
समस्त संयुक्त निदेशक, जोन
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ।

दिनांक:- 10.5.11

विषय:- अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करने बाबत ।

-000-

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्मिक (क-1/गो0प्र0)विभाग के परिपत्र क्रमांक प013(76)का./क-1/गो.प्र./2011 दिनांक 14-04-2011 द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियों की अचल सम्पत्ति का विवरण 1.1.2011 की स्थिति में निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 30.04.11 तक प्राप्त कर सार्वजनिक किये जाने हेतु चाहा गया था, एवं निदेशालय के पृष्ठांकन क्रमांक राजप/डीपीसी/एसीआर/परिपत्र/2011/328 दिनांक 02.05.11 द्वारा भी आपके अधिनस्थ राजपत्रित अधिकारियों की अचल सम्पत्ति विवरण की पूर्ति कर दिनांक 09 मई 2011 तक प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है, किन्तु वांछित सूचना प्राप्त होना अपेक्षित है, यहां स्पष्ट किया जाता है कि उक्त प्राप्त सूचना कार्मिक विभाग द्वारा सार्वजनिक किए जाने की प्रक्रिया दिनांक 31-05-2011 तक पूरी की जानी है अतएवं विभाग के सभी राजपत्रित अधिकारीगण अपनी अचल सम्पत्ति विवरण प्रपत्र आज ही प्रस्तुत करें अन्यथा आपकी विजीलेन्स क्लीरेन्स नहीं दी जायेगी एवं पदोन्नति का परिलाम भी नहीं दिया जावेगा । यदि सूचना सीधे ही कार्मिक विभाग को प्रस्तुत की जा चुकी है तो इस आशय की सूचना भिजवावे ।


निदेशक (जन स्वा.)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक :- राजप/डीपीसी/एसीआर/परिपत्र/2011/363 दिनांक:- 10.5.11

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-1/गो0प्र0)विभाग, राज0जयपुर को सूचनार्थ ।
2. निदेशक, आई0ई0सी0, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय ।
3. निदेशक (प0क0)/एड्स/ई0एस0आई0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0जयपुर ।
4. परियोजना निदेशक, राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट, राज0जयपुर ।
5. समस्त प्रधानाचार्य, मेडीकल कॉलेज एवं नियंत्रक, सम्बद्ध चिकित्सालय समूह ।
6. औषधि नियंत्रक (प्रथम एवं द्वितीय) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राज0जयपुर ।
7. निदेशक भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, राजस्थान, जयपुर ।

8. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय ।
9. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह, राजस्थान ।
10. प्राधानाचार्य, रा0 प0 क0 प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर/अजमेर ।
11. मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर ।
12. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान ।
- ✓ 13. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभाग की बेबसाईट पर अपलोड किये जाने व समस्त संबंधित को ई-मेल किये जाने हेतु ।
14. आदेश/रक्षित पत्रावली ।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर ।